

कार्यान्वयन प्रकोष्ठ के कार्य

1. भारत के विधि आयोग की रिपोर्टें:

कार्यान्वयन प्रकोष्ठ विधि आयोग की रिपोर्टों पर कार्यवाही करने, उन्हें संसद के समक्ष रखने और रिपोर्टों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों को जांच/कार्यान्वयन के लिए अग्रेषित करने और उन पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए उनसे संपर्क बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है। दिनांक 19.03.2024 तक भारत के विधि आयोग ने 1-287 और 289 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। सभी रिपोर्टों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों को जांच/कार्यान्वयन अथवा उनकी ओर से अगली कार्रवाई के लिए उन्हें अग्रेषित किया गया है। अब तक संसद के दोनों सदनों के समक्ष कुल 1-287 और 289 रिपोर्टें रखी गई हैं। कार्यान्वयन प्रकोष्ठ कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधित विभागीय स्थायी संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, संसद के दोनों सदनों के समक्ष विधि आयोग की लंबित रिपोर्टों की स्थिति दर्शाने वाला एक वार्षिक विवरण 2005 से लगातार रखता आ रहा है। इस तरह का अंतिम विवरण (15वां विवरण) संसद के दोनों सदनों के पटल पर (दिनांक 01.04.2022 को लोक सभा में और दिनांक 31.03.2022 को राज्य सभा में) रखा गया था। यह आयोग अपनी रिपोर्टें अपनी वेबसाइट www.lawcommissionofindia.nic.in पर भी उपलब्ध करवाता है।

2. संविधि का प्रशासन-

यह प्रकोष्ठ निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन से भी संबंधित है: -

क. अधिवक्ता अधिनियम, 1961

भारतीय बार काउंसिल एक सांविधिक निकाय है जिसे अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत स्थापित किया गया है जो भारत में विधि व्यवसाय और कानूनी शिक्षा का नियमन करता है। इसके सदस्य भारत में वकीलों में से चुने जाते हैं और इस तरह भारतीय बार का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह पेशेवर आचरण, शिष्टाचार के मानकों को निर्धारित करता है और बार पर अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। यह कानूनी शिक्षा के लिए मानक भी निर्धारित करता है और उन विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है जिनकी कानून की डिग्री छात्रों के लिए स्नातक होने पर अधिवक्ता के रूप में नामांकन करने के लिए योग्यता के रूप में काम करेगी।

ख. अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001.

कनिष्ठ वकीलों के लिए वित्तीय सहायता और निर्धन अथवा दिव्यांग अधिवक्ताओं के लिए कल्याण योजनाओं के रूप में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सदैव विधिक बिरादरी का विचार का विषय रहा है। कुछ राज्यों ने इस विषय पर अपने विधान अधिनियमित किए हैं। यह अधिनियम प्रत्येक अधिवक्ता के लिए किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में दायर प्रत्येक वकालतनामे पर अपेक्षित मूल्य के स्टाम्प लगाने को अनिवार्य करता है। 'अधिवक्ता कल्याण निधि स्टाम्प' के विक्रय के माध्यम से एकत्रित धनराशि इस निधि का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस निधि का प्रयोग अन्य बातों के साथ-साथ सदस्य की गंभीर स्वास्थ्य समस्या, प्रैक्टिस के बंद होने या किसी सदस्य की मृत्यु की दशा में उसके नामित या कानूनी वारिस को एक नियत धनराशि के भुगतान करने, सदस्यों और उसके आश्रितों की चिकित्सा और शैक्षिक सुविधाओं, अधिवक्ताओं के लिए पुस्तकों की खरीद और सामान्य सुविधाओं के लिए अनुग्रह राशि के रूप में उपयोग में लाई जाएगी।

3. न्यायालयी मामले-

यह अनुभाग विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में दायर उन न्यायालयी मामलों के कार्य भी देखता है जो इन दोनों केंद्रीय कानूनों से संबंधित हो सकते हैं या भारतीय बार काउंसिल या अन्य विविध मुद्दों से संबंधित हो सकते हैं जो कानूनी और संवैधानिक मुद्दे उठाते हैं। इस अनुभाग को न्यायालयी मामलों की जाँच; पैरा-वार टिप्पणियाँ तैयार करना और प्रेषित करना, काउंसेलों को निर्देश जारी करना, जवाब दाखिल करना और उनके शुल्क बिलों का प्रसंस्करण करना होता है।

4. संसदीय प्रश्न (पीक्यू) -

संसद सत्र के दौरान, इस प्रकोष्ठ को बड़ी संख्या में संसदीय प्रश्नों (पीक्यू) का निपटारा करना पड़ता है, जो एक समयबद्ध और समय लेने वाला विषय है, जिसके लिए आश्वासनों के साथ-साथ अत्यंत तत्परता की आवश्यकता होती है।

5. वीआईपी संदर्भ -

इस कार्यालय को वीआईपी संदर्भ भी प्राप्त हुए हैं, जैसे राष्ट्रपति कार्यालय, पीएमओ की टिप्पणियाँ, सांसदों/विधायकों/राज्यों के वीआईपी व्यक्ति आदि। इन्हें भी प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाता है।

6. आरटीआई आवेदन/प्रथम अपील/द्वितीय अपील

इस अनुभाग में आरटीआई आवेदन/प्रथम अपील/द्वितीय अपील भी प्राप्त होते हैं। इन पर भी तत्काल ध्यान देने और समयबद्ध तरीके से निपटाने की आवश्यकता होती है।

7. लोक शिकायतें

भारतीय बार काउंसिल और राज्य बार काउंसिलों से संबंधित जनता द्वारा किए गए कुछ संदर्भ; अधिवक्ताओं के विरुद्ध शिकायतें आदि भी प्राप्त होती हैं, जिन पर ध्यान दिया जाता है और संबंधित प्राधिकारी से पूछताछ/परामर्श के बाद उचित कार्रवाई की जाती है। राज्य बार काउंसिलों, बार संघों और अधिवक्ताओं के अभ्यावेदन भी इस प्रकोष्ठ में प्राप्त किए जाते हैं।

8. अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2016

9. अधिवक्ता कल्याण योजना

10. भारत-यूके (भारत में यूके विधिक सेवा फर्मों के सामने आने वाली बाधाएँ-संबंधी)

11. विविध कार्य